सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन
COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES
विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 525 / 1021 / 2013 दिनांकः– 12.08.2016

<u>के मामले में:</u>

श्री विजय नन्दन सिन्हा,
आदेशपाल,
चल स्टॉक अनुभाग,
मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय,
पूर्व मध्य रेलवे,
दानापुर–801105 ..... शिकायतकर्ता

बनाम

मण्डल रेल प्रबन्धक,
पूर्व मध्य रेल,
मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय,
दानापुर, बिहार–801105 ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः 04.07.2016

<u>उपस्थितः</u>
1. श्री विजय नन्दन सिन्हा, शिकायतकर्ता ।
2. सुश्री शिवानी नारायण, सहायक कार्मिक अधिकारी, प्रतिवादी की ओर से ।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त शिकायतकर्ता, जोकि 80 प्रतिशत श्रवणबाधित व्यक्ति है, ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत वर्ग 'घ' से वर्ग 'ग' में पदोन्नति से संबंधित दिनांक 03.10.2013 की शिकायत इस न्यायालय में प्रस्तुत की ।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि उनकी नियुक्ति बतौर आदेशपाल सीडब्ल्यूएस / डीएनआर के अधीन विकलांगजन कोटे के तहत दिनांक 08.10.1988 को हुई थी । वर्तमान समय में वे रोलिंग स्टाक सैक्शन, दानापुर में कार्यरत हैं । उनका यह भी कहना है कि श्रवणबाधित होने के बावजूद भी वह पढ़–लिख सकते हैं और कनिष्ठ लिपिक का कार्य कर सकते हैं । उन्होंने अपनी योग्यता का विवरण अपनी शिकायत में दिया है । उन्होंने अनुरोध किया है कि वर्तमान रिक्ति के विरूद्ध उनकी समूह 'ग' में प्रोन्नति की जाए ।

....2 / –

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 30.12.2013 के द्वारा उठाया गया । इसके पश्चात् दिनांक 16.05.2014 और 22.10.2014 को स्मरण–पत्र भी जारी किए गए ।

4. प्रतिवादी ने अपने पत्र क्रमांक ई.ओ./लिपिक/कार्मिक/14 दिनांक 07.11.2014 द्वारा सूचित किया कि आदेशपाल से लिपिक संवर्ग में पदोन्नति चयन के द्वारा 33.1/3 प्रतिशत एवं 16.2/3 प्रतिशत कोटा के तहत होती है । इसके लिए समय–समय पर नोटिफिकेशन जारी किए जाने पर रेल कर्मियों द्वारा आवेदन दिया जाता है । किसी भी कर्मचारी को बिना चयन परीक्षा पास किए सीधे लिपिक वर्ग में पदोन्नत करने का कोई प्रावधान नहीं है । यदि भविष्य में नोटिफिकेशन किए जाने पर श्री विजय नन्दन सिन्हा द्वारा आवेदन दिया जाता है एवं वे चयन हेतु सभी पात्रताएं पूर्ण करते हैं तो उन्हें चयन परीक्षा में शामिल किया जाएगा एवं परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उनने पदोन्नति पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है । रेल विभाग में निःशक्तजन को पदोन्नति में आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है ।

5. प्रतिवादी से प्राप्त उत्तर दिनांक 07.11.2014 की प्रति शिकायतकर्ता को इस न्यायालय के पत्र दिनांक 19.06.2015 के द्वारा उनके टिप्पण/रिज्वाइंडर हेतु भेजी गई थी ।

6. शिकायतकर्ता ने अपने रिज्वाइंडर दिनांक 02.07.2015 द्वारा सूचित किया था कि रेलवे द्वारा आदेशपाल से लिपिक संवर्ग या अन्य संवर्ग में पदोन्नति हेतु अधिसूचना जारी करने पर अन्य समुदाय की तरह विकलांग समुदाय के लिए सीट अंकित नहीं की जाती है । कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 36035/3/2004–स्था. (आरक्षण) दिनांक 29.12.2005 के अनुसार विकलांग श्रेणी के समुदाय के लिए सीधे भर्ती एवं पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु रोस्टर बनाए जाने का निर्देश है । परन्तु रेलवे में उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है । पदोन्नति वाली अधिसूचना में अन्य समुदाय की तरह विकलांग को भी जगह दी जाती है तो विकलांग कर्मचारी को भी चयन परीक्षा में लाभ मिल सकता है ।

7. शिकायतकर्ता के उपरोक्त रिज्वाइंडर की प्रति वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी, पूर्व मध्य रेल, दानापुर को इस न्यायालय के पत्र दिनांक 18.08.2015 द्वारा यह सलाह देते हुए प्रेषित की गई थी कि सन् 1996 से वर्ग 'ग' और 'घ' की पदोन्नति का ब्यौरा तथा सम्पर्क अधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ कि आरक्षण रजिस्टर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

के निर्देशानुसार बनाया गया है, इस न्यायालय को दिनांक 31.08.2015 तक भेजें । प्रतिवादी ने वांछित सूचनाएं/दस्तावेज इस न्यायालय को अभी तक नहीं भेजे हैं ।

8. प्रतिवादी के पत्र दिनांक 07.11.2014 और शिकायतकर्ता के रिज्वाइंडर दिनांक 02.07.2015 को मध्यनज़र रखते हुए मामले में सुनवाई दिनांक 04.07.2016 को निर्धारित की गई ।

9. दिनांक 04.07.2016 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि मूक–बधिर होने की वजह से उनकी पदोन्नति समूह 'ग' पद पर हो जानी चाहिए थी परन्तु अब तक ऐसा नहीं किया गया है । वे पिछले 28 वर्षों से समूह 'घ' पद पर कार्यरत हैं तथा उनकी प्रोन्नति नहीं की गई है । उन्हें 3 प्रतिशत विकलांगता का आरक्षण प्राप्त है, जिसके अधीन उनकी प्रोन्नति की जाए ।.

10. प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने सुनवाई के दौरान प्रतिवादी के उत्तर की प्रति फाइल की, जिसे अभिलेख पर लिया गया । उन्होंने फाइल किए गए उत्तर के साथ–साथ आगे निवेदन किया कि किसी भी ग्रुप'डी' कर्मचारी को चयन परीक्षा में उत्तीर्ण किए बिना सीधे लिपिक केटेगरी में नियुक्ति करने का कोई प्रावधान नहीं है । विकलांग कर्मचारियों के लिए लिखित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों में शिथिलता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है । शिकायतकर्ता को अभी तक नियमानुसार एमएसीपी के तहत जीपी 1800/– से 1900/– एवं जीपी 1900/– से 2000/– का दो वित्तीय लाभ प्रदान किए जा चुके हैं । इस बार शिकायतकर्ता ने लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति हेतु जारी अधिसूचना के आलोक में आवेदन दिया है । शीघ्र ही लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा । लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेख के आधार पर चयन का पैनल तैयार किया जाएगा । यदि शिकायतकर्ता उपरोक्तानुसार तैयार किए गए पैनल में चयनित होंगे तो उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाएगा ।.

11. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/3/2004–स्थापना (आरक्षण) दिनांक 20.11.1989 के द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण आरंभ किया है । कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आगे अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/3/2004–स्थापना (आरक्षण) दिनांक 29.12.2005 द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण संबंधी समेकित अनुदेशा जारी किए हैं । इसके पैरा 2(ii) के अनुसार समूह 'घ' और 'ग' पदों में, जिनमें सीधी भर्ती का अंश 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, पदोन्नति

के मामले में तीन प्रतिशत रिक्तियां, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी जिसमें से एक–एक प्रतिशत रिक्तियां – (i)दृष्टि विहीनता अथवा कम दृष्टि, (ii)बधिरता और (iii) चलने–फिरने की निःशक्तता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज़) से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए, उन निःशक्तताओं के लिए उपयुक्त पहचाने गए पदों में आरक्षित होंगी ।

12. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/3/2004–स्थापना (आरक्षण) दिनांक 29.12.2005 के पैरा 15(क) के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण निर्धारित करने/लागू करने के लिए सभी स्थापना, अनुबंध–।। में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, 100 बिन्दुओं वाला आरक्षण रोस्टर बनाएं । सीधे भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'क' पदो के लिए, सीधे भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'ख' पदो के लिए, सीधे भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'ग' पदो के लिए, पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'ग' पदो के लिए, सीधे भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'घ' पदो के लए और पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'घ' पदो के लिए अलग–अलग एक–एक आरक्षण रोस्टर होगा ।

13. दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात् तथा अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात् इस न्यायालय का यह संप्रेक्षण है कि वर्तमान प्रोन्नति नीति के अनुसार विकलांग व्यक्ति प्रोन्नति का फायदा पाने के योग्य नहीं हैं। प्रोन्नति परीक्षा में भाग लेने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ शिथिलता होनी चाहिए । यह न्यायालय प्रतिवादी को निदेश देता है कि वे अपनी वर्तमान प्रोन्नति नीति पर विचार करें और उसमें संशोधन करें ताकि विकलांग कर्मचारियों को प्रतियोगिता का समान अवसर प्राप्त हो सके और वे प्रोन्नति प्राप्त कर सकें । जैसाकि शिकायतकर्ता ने पहले से ही प्रोन्नति परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया है, प्रतिवादी को निदेश दिया जाता है कि वे शिकायतकर्ता को चयन परीक्षा में शामिल करें एवं परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उनकी पदोन्नति हेतु नियमानुसार कार्रवाई करें ।

14. मामले का निपटारा तदनुसार किया गया ।

(कमलेश कुमार पाण्डे)
मुख्य आयुक्त, निःशक्तजन

मूल प्रति पर नहीं:–
प्रतिलिपिः– रिकार्ड फाइल